राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक एफ 3 ( )/पीओटी/प्र.नि./निर्देश/टीएडी/2016 जयपुर, दिनांक 22-8-16

आदेश

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन जिला परियोजना अधिकारियों के रिक्त पदों को तदर्थ आधार (Adhoc basis) पर विभिन्न विभागों के राज्य सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु पात्रता शर्ते निम्नानुसार लागू होंगी :-

1. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित अधिकारी की आयु प्रतिनियुक्ति के समय 65 वर्ष से अधिक नहीं हो।
2. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदक अधिकारी का वेतनमान 15600-39100 (पीबी-3) ग्रेड-पे 6000 एवं इससे अधिक हो।
3. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदक अधिकारी को फील्ड में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव के साथ आदिवासी जनजाति कल्याणार्थ कार्य करने का अनुभव भी हो।
4. प्रतिनियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष के लिए होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर प्रतिनियुक्ति अवधि दो वर्ष के लिए और बढाई जा सकेगी, परन्तु इसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के उपलब्ध होने अथवा प्रशासनिक कारणों से बिना किसी पूर्व सूचना के प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. प्रतिनियुक्त अधिकारी का पदाधिकार (Lien) स्वयं के पैतृक विभाग में ही निहित होगा तथा पैतृक विभाग इन्हे पदोन्नत कर सकेगा। परियोजना अधिकारी के रूप में की गई सेवा की अवधि उसके पैतृक विभाग में नियमित तरक्की के लिए मान्य होगी।
6. प्रतिनियुक्ति हेतु अन्य कोई विशेष भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा स्वयं की वेतन श्रृंखला में ही कार्यरत रहेंगे।
7. प्रतिनियुक्ति से परावर्तन के पश्चात् प्रतिनियुक्त अधिकारी परियोजना अधिकारी पद पर प्राप्त वेतन/वेतनमान या हैसियत की सुरक्षा के अधिकारी नहीं होंगे।
8. प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/गबन/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रकरण लम्बित/प्रस्तावित नहीं हो तथा न ही पूर्व में किसी विभागीय जांच में दण्डित किया गया हो।
9. प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु विशेष समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्नानुसार होंगे :-
   1. अति. मुख्य. सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग – अध्यक्ष
   2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर – सदस्य
   3. वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर – सदस्य
   4. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर – सदस्य सचिव
10. किसी भी आवेदन को बिना किसी कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियां समिति/राज्य सरकार में विहित रहेगी।
11. परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों के राज्य सेवा अधिकारी पात्र होंगे।

यह निर्देश आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,
22/8
(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मंख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदक का नाम –
2. पिता का नाम –
3. जन्म तिथि –
4. विभाग एवं सेवा का नाम –
5. पद जिसके लिए नियमित चयनित है –
6. वर्तमान पद पर स्थाई/अस्थाई –
7. वर्तमान पदस्थापन स्थान –
8. वर्तमान पद पर अनुभव की अवधि –
9. जनजाति कल्याणार्थ कार्य करने का अनुभव –
10. गृह जिला –
11. स्थायी पता –
12. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार का पता) –
13. दूरभाष (मो.) एवं ई–मेल –
14. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक –
15. सेवानिवृत्ति की तिथि –
16. शैक्षणिक योग्यता –

क्र.स.	स्तर	उपाधि का प्रकार	वर्ष
1	स्नातक		
2	स्नातकोत्तर		
3	अन्य विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो)		
4	अन्य तकनीकी योग्यता (यदि कोई हो तो)		

17. सेवा सम्बन्धी विवरण/कार्यानुभव का संक्षिप्त विवरण –
18. वर्तमान पद की वेतन श्रृंखला, ग्रेड–पे एवं वर्तमान मूल वेतन –
19. विशेष विवरण –

दिनांक :

हस्ताक्षर

पैतृक विभाग द्वारा दी जाने वाले अनापत्ति का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि :—

1. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच/गबन/भ्रष्टाचार ब्यूरो के प्रकरण विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है और ना ही पूर्व में किसी विभागीय जाँच में दण्डित किये गये। (यदि दण्डित किये गये हो अथवा जाँच विचाराधीन/प्रस्तावित हो तो विवरण संलग्न करें)
2. इनके पिछले 7 वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देख लिये गये है तथा इनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है मेरे विचार से इन्हें परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु विचारार्थ लिया जा सकता है।
3. प्रार्थी श्री .... वर्तमान पद .... द्वारा उपरोक्त वर्णित किये गये तथ्य सेवाभिलेख के अनुसार सही है, यदि इन्हें परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतियुिक्ति दी जाती है तो इस विभाग को इस पर काई आपत्ति नहीं है। इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रेषित कर दिये जावेंगे।

दिनांक :

विभागाध्यक्ष